महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य,
समस्त सहायक निदेशक मत्स्य /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म0पा0वि0अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 1624 / नि0शा0 / 2019 दिनांकः 02/09/2019

विषयः **विभागीय पोर्टल पर इंट्री में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा संचालित पोर्टल के उपयोग में निम्न सावधानी न बरतने पर अनावश्यक परेशानी आपके स्तर पर हो रही है :–

1. लाभार्थी का पंजीकरण करते समय योजना का चयन कर उसे सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। अतः जब डी0बी0टी0 करते हैं तब योजना प्रदर्शित नहीं होती। अतः इस भूल के लिए पुनः पंजीकरण में जाना होगा।
2. पंजीकरण एवं डी0बी0टी0 में क्षेत्रफल के एडिट करने का प्रावधान है जिसके अनुरूप इकाई लागत परिवर्तनशील है। डी0बी0टी0 पोर्टल पर योजना की इकाई लागत को Edit कर सकते हैं।
3. पी0डी0एफ0 / जे0पी0जी0 फाइल बनाते समय उनके नामकरण में अक्षरों के मध्य स्पेस देने, विशिष्ट चिन्ह जैसे ; #, @, $ आदि अंकित करने से फाइल अपलोड नहीं होती या उप निदेशक के पैनल पर प्रदर्शित नहीं होती है अतः उक्त का ध्यान रखा जाय।
4. डी0बी0टी0 होने पर कोषागार के टोकन को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा रहा है। अपडेट होते ही स्टेटस हरा हो जायेगा। यह अत्यंत आवश्यक है।
5. एम0पी0आर0 में सभी धनराशियां रु0 लाख में अंकित की जानी हैं जो दसमलव के 4 अंकों तक अंकित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 275625 को 2.7562 अंकित किया जाये।
6. वर्ष 2017–18 की महिला अभ्यर्थियों को रियरिंग यूनिट के सापेक्ष्य 40 प्रतिशत अनुदान देय है अतः उनका पंजीकरण वर्ष 2017–18 के सापेक्ष्य किया जाये तभी 40 प्रतिशत अनुदान प्रदर्शित होगा।
7. पोर्टल में जहां सुरक्षित बटन है उनका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाय।
8. एम0पी0आर0 के प्रारूपों में लाभार्थियों की संख्या अपरिवर्तनीय होगी जैसे 10 लाभार्थी हैं, 2 का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, 7 का कार्य प्रारम्भ हुआ एवं 01 का कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार योग 10 होगा। यदि 2, 8, 1 इस प्रकार भरेंगे तो योग 11 होगा, उक्त तीनों कालमों को भरते समय सावधान रखें।

Scanned by CamScanner

9. डी0बी0टी0 से पूर्व लाभार्थी का बैंक खाता संख्या व बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड अवश्य जांच लें।
10. अनुदान संख्या–17 में मत्स्य विभाग का बजट सामान्य योजनाओं हेतु, अनुदान संख्या–83 से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की योजनाओं हेतु व अनुदान संख्या–81 से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की योजनाओं हेतु अनुदान धनराशि आवंटित है उसी के अनुरूप कोषागार प्रपत्रों में अनुदान संख्या अंकित की जाये।
11. लाभार्थियों से बैंक खाता संख्या, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड लापरवाही से पंजीकरण के समय अंकित किया जा रहा है फिर संशोधन हेतु पत्राचार करके सही कराने से कार्य में विलम्ब होता है जिसे सजगता से अंकित करें।
12. सर्वर धीमा होने के कारण क्षेत्रफल, धनराशि पोर्टल पर प्रदशित नहीं होती, उसे पुनः बार–बार अंकित किया जाता है या इंटर के बटन का बार–बार उपयोग करने से जितनी बार अंकन/इंटर बटन का प्रयोग करेंगे उतनी बार की इंट्री सर्वर चलने पर संचयी रूप से जुड़ती जायेगी तथा जब आप डी0बी0टी0 करते हैं तो मूल क्षेत्रफल/धनराशि से कई गुना अधिक प्रदर्शित होने से आगणन गलत हो जाते हैं जिससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है।

पोर्टल पर इंट्री करते समय उक्त सामान्य निर्देशों को ध्यान में रखा जाय तो पोर्टल आसानी से बिना किसी त्रुटि के संचालित होगा। जनपदीय/मण्डलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल संचालन हेतु उक्त सामान्य निर्देशों/सावधानियों को उन कार्मिक तक प्रत्येक दशा में पहुंचा दें जो कार्मिक डी0बी0टी0, एम0पी0आर0 व फीडिंग कार्य से जुड़े हैं।

भवदीय,

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned by CamScanner